कार्मिक
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
SOUTH EAST CENTRAL RAILWAY
वमकाधि कार्यालय रायपुर ,
Office of the Sr Divl Personnel Officer, R
स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर
Phone – (Rly) 72430
FAX – (P&T) 2252290

क्र.: ई/ पी.बी./ आर/ भर्ती/ एक्ट अप्रेंटिस/ 2017

दिनांक: 27.11.2017

# अधिसूचना

विषय: वर्ष 2017 के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर मंडल एवं वेगन रिपेयर शॉप/रायपुर में अप्रेंटिस एक्ट – 1961 एवं अप्रेंटिस नियम – 1962 के अंतर्गत एक्ट अप्रेंटिस का चयन (Engagement) ।

1. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर मंडल एवं वेगन रिपेयर शॉप/ रायपुर में अप्रेंटिस एक्ट – 1961 के अंतर्गत निम्नलिखित पदनामित ट्रेडों पर ट्रेड अप्रेंटिस के रूप में चयन (Engagement) के लिए रायपुर मंडल हेतु पात्र उम्मीदवारों से www.secr.indianrailways.gov.in वेबसाइट पर दिनांक 28.11.2017 से 27.12.2017 (शाम 6 बजे तक) ऑन लाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं ।

**1.1 रायपुर मंडल की रिक्तियों/ पदों की संख्या (ट्रेड अनुसार)**

| क्र.सं | ट्रेड | कोर्स अवधि | अना | अ.पि.व | अ.जा. | अ.ज.जा | कुल | भू.पू.सै | दिव्यांग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | वेल्डर | दो वर्ष | 37 | 20 | 11 | 05 | **73** | 02 | 02 |
| 2 | टर्नर | एक वर्ष | 07 | 03 | 02 | 01 | **13** | 00 | 00 |
| 3 | फिटर | एक वर्ष | 47 | 25 | 14 | 07 | **93** | 03 | 03 |
| 4 | मशीनिस्ट | एक वर्ष | 03 | 02 | 01 | 00 | **06** | 00 | 00 |
| 5 | इलेक्ट्रीशियन | एक वर्ष | 24 | 12 | 07 | 04 | **47** | 01 | 01 |
| 6 | हेल्थ सेनिटरी इंस्पेक्टर | एक वर्ष | 01 | 01 | 00 | 00 | **02** | 00 | 00 |
| 7 | स्टेनोग्राफर | दो वर्ष | 02 | 01 | 00 | 00 | **03** | 00 | 00 |
| 8 | मेकनिक | एक वर्ष | 09 | 05 | 03 | 01 | **18** | 01 | 01 |
| | कुल | | **130** | **69** | **38** | **18** | **255** | **07** | **07** |

**1.2 वेगन रिपेयर शॉप/ रायपुर की रिक्तियों/ पदों की संख्या (ट्रेड अनुसार)**

| क्र.सं | ट्रेड | कोर्स अवधि | अना | अ.पि.व | अ.जा. | अ.ज.जा | कुल | भू.पू.सै | दिव्यांग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | फिटर | एक वर्ष | 10 | 05 | 03 | 01 | 19 | 00 | 00 |
| 2 | वेल्डर (जी.एवं ई) | दो वर्ष | 10 | 05 | 03 | 01 | 19 | 00 | 00 |
| 3 | मशीनिस्ट | एक वर्ष | 02 | 01 | 00 | 00 | 03 | 00 | 00 |
| 4 | इलेक्ट्रीशियन | एक वर्ष | 02 | 01 | 00 | 00 | 03 | 00 | 00 |
| 5 | मेकनिक मोटर गाडी | दो वर्ष | 02 | 01 | 00 | 00 | 03 | 00 | 00 |
| 6 | टर्नर | एक वर्ष | 02 | 01 | 00 | 00 | 03 | 00 | 00 |
| | कुल | | **28** | **14** | **06** | **02** | 50 | **00** | **00** |

* उपरोक्त रिक्तियाँ प्रशासनिक आवश्यक्तानुसार घट या बढ सकती हैं ।

**2. शैक्षनिक योग्यता/ तकनीकी योग्यता:**

क. अभ्यर्थी को 10+2 शिक्षा पद्धति के तहत 10वीं (मैट्रिक) या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए ।

ख. अभ्यर्थी को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित ट्रेड में आई.टी.आई की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए ।

3. **आयू सीमा:**

अभ्यर्थी की आयू दिनांक 01.01.2018 को 15 वर्ष से कम तथा 24 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। * उक्त आयू सीमा में अजा/ अजजा के उम्मेदवारों को 05 वर्ष एवं अपिव के उम्मीदवारों को 03 वर्ष, दिव्यांग को 10 वर्ष की छूट होगी।

| क्र.सं | समुदाय | अभ्यर्थी जिनका जन्म निम्नांकित तिथि के मध्य हुआ हो |
|---|---|---|
| 01 | अनारक्षित | 01.01.1994 से 01.01.2003 |
| 02 | अनुसूचित जाति | 01.01.1989 से 01.01.2003 |
| 03 | अनुसूचित जनजाति | 01.01.1989 से 01.01.2003 |
| 04 | अन्य पिछडा वर्ग | 01.01.1991 से 01.01.2003 |
| 05 | दिव्यांग/ भूतपूर्व सैनिक | 01.01.1984 से 01.01.2003 |

* उम्र में छूट हाल का जाति प्रमाण पत्र संलग्न करने पर ही मिलेगी।

4. **अप्रेंटिस प्रशिक्षण की अवधि एवं छात्रवृत्ति:**

चयनित अभ्यर्थी प्रशिक्षु/ अप्रेंटिस के रूप में चयन (Engagement) किए जायेंगे तथा उन्हें टर्नर, फिटर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रीशियन, हेल्थ सेनिटरी इंस्पेक्टर, मेकनिक के लिए 1 वर्ष तथा वेल्डर, वेल्डर (जी.एवं ई), स्टेनोग्राफर, मेकनिक मोटर गाडी के लिए 2 वर्ष की अवधि के लिए प्रशिक्षुता प्रशिक्षण/ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए भेजा जायेगा। उन्हें केंद्र सरकार के नियमानुसार प्रशिक्षण के दौरान वजीफा/ छात्रवृत्ति का भुगतान किया जायेगा। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पूरा कर लेने के बाद उनका प्रशिक्षण समाप्त हो जायेगा।

5. **चयन प्रक्रिया:**

प्रवीणता सूची बनाने हेतु निम्नलिखित मापदंड अपनाया जाएगा : -

अभ्यर्थे द्वारा मेट्रिक (न्यूनतम 50 % अंक अर्हता हेतु आवश्यक होगा) तथा आई.टी.आई में प्राप्त अंक प्रतिशत को समान भार्ता देते हुए प्रवीणता सूची जारी की जाएगी।

6. **चिकित्सा प्रशिक्षण:**

6.1 अप्रेंटिस एक्ट 1961 एवं अप्रेंटिस नियम 1962, समय- समय पर यथासंशोधित के तहत एक व्यक्ति प्रशिक्षण हेतु पात्र होगा। यदि वह उपरोक्त वर्णित अधिनियम एवं नियम में विहित के अनुसार शारिरिक स्वस्थता के न्यूनतम मापदंड को पूरा करता/ करती है एवं संबंधित ट्रेड में प्रशिक्षण देने के लिए निर्धारित मांक रेलवे चिकित्सक द्वारा उपयोक्त प्रमाणिप्रमाणित होता है तो प्रशिक्षण का पात्र होगा।

6.2 चयनित अभ्यर्थियों को निर्धारित चिकित्सकीय परीक्षा पास करना होगा एवं चिकित्सा परीक्षण शुल्क के रूप में 24 /- रूपये का भुगतान करना होगा।

7. **संविदा:**

चयनित अभ्यर्थी को अनुबंध निष्पादित करना होगा (यदि नाबालिग हो तो अभिभावक द्वारा)।

8. **रोजगार की स्वीकृति का प्रस्ताव:**

प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात किसी भी प्रशिक्षु को किसी भी रोजगार के प्रस्ताव के लिए नियोक्ता बाध्य नहीं होगा और न ही प्रशिक्षु नियोक्ता द्वारा प्रस्तावित किसी भी रोजगार के स्वीकार करने के लिए बाध्य होगा। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत नियमों एवं अधिनियमों की भ्ली भांति जानकारी प्राप्त कर लें।

9. **भूतपूर्व सैनिक:**

9.1 3 प्रतिशत आरक्षण के तहत चयनित भूतपूर्व सैनिक, उनके बच्चे एवं सशस्त्र बल जवानों के बच्चे जो उन्हें प्रदान की गई है, अनारक्षित/ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछडा वर्ग श्रेणी में रखा जाएगा एवं उन्हें अप्रेंटिसशिप के लिए नीचे दिए गए विवरण के अनुसार नियुक्त किया जाएगा।

171

क) मृत सैनिक के बच्चे/ युद्ध के समय मारे गए/ दिव्यांग सैनिकों सहित
ख) भूतपूर्व सैनिक के बच्चे
ग) सेवारत जवान के बच्चे
घ) सेवारत अधिकारी के बच्चे
ङ) भूतपूर्व सैनिक

10. आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि

पूर्ण रूप से भरे गए ऑनलाइन आवेदन को केवल ऑन लाइन प्रक्रिया से दिनांक 28.11.2017 से 27.12.2017 शाम 6 बजे तक ही स्वीकार किया जाएगा।

11. फीस:

अभ्यर्थियों से निवेदन है कि वे 100 /- रूपये की फीस ऑन लाइन उपलब्ध विकल्पों की सहायता से करें। अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला एवं दिव्यांग अभ्यार्थियों के लिए कोई शुल्क नहीं है।

12. अभ्यर्थियों के लिए सामान्य निर्देश:

क) आवेदन केवल निम्नलिखित वेब के माध्यम से ही करें वेबसाइट का पता - www.secr.indianrailways.gov.in

ख) यदि अभ्यर्थी अजा/ अजजा/ अपिव समुदाय से हो तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी हालही का जाति प्रमाण पत्र को वेब पोर्टल पर अपलोड करें।

ग) किसी भी प्रकार की पैरवी या दबाव डालने पर अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

घ) आवेदक को प्रशिक्षु के रूप में ज्वाइनिंग के पहले आने जाने पर किसी भी प्रकार का टी.ए/ डी.ए नहीं दिया जाएगा।

ङ) अभ्यर्थी को नवीनतम पासपोर्ट साइज के रंगीन फोटोग्राफ एवं स्कैंड हस्ताक्षर सहित शैक्षणिक/ तकनीकी योग्यता से संबंधित आवश्यक दस्तावेज की स्कैंड कॉपी वेबसाइट पर अपलोड करना होगा।

च) यदि अभ्यर्थी सत्यापन के लिए अपेक्षित मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने एवं किसी प्रकार की विसंगति देखी जाती है तो उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।

छ) यदि रेल प्रशासन को ऐसी जानकारी प्राप्त होती है कि अभ्यर्थी/ चयनित अभ्यर्थी नें गलत/ जाली प्रमाण पत्र/ झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है तो रेल प्रशासन किसी भी चरण में, चयन होने के बाद जारी प्रशिक्षण के दौरान भी बिना किसी सूचना के बर्खास्त करने का अधिकार रखता है।

ज) रेल प्रशासन अभ्यर्थी का चयन न होने या बुलावा न मिलने पर जवाब भेजने के लिए किसी प्रकार का उत्तरदायित नहीं लेता है। इस कार्यालय में जमा किए गए आवेदन के संबंध में किसी भी व्यक्ति या संगठन से पत्राचार नहीं किया जाएगा।

झ) रेल प्रशासन किसी प्रकार की मुद्रण त्रुटि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

ञ) जो दिव्यांग अभ्यर्थी दिव्यांगता का लाभ लेना चहते हैं वे सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें (अर्थात केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा विधिवत गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी)।

ट) समस्त मामले जैसे कि उम्मीदवार की पात्रता, आवेदन को स्वीकार अथवा अस्वीकार करना, एवं चयन की प्रक्रिया आदि में रेलवे प्रशासन का निर्णय अंतिम होगा।

12 (अ) सहायता हेतु:

श्रीमती आर विजयलक्ष्मी, मु.का.अधी/ भर्ती अनुभाग, मोबाइल नं: 9752877629
श्री इंद्रजीत बिस्वास, का.अधी/ आई.पास अनुभाग, मोबाइल नं. 9752877514

नोट: - किसी संशय/ विरोधाभाष की स्थिति में अधिसूचना की अंग्रेजी प्रारूप ही मान्य होगा।

27.11.17
(संग्राम सोरेन)
मंडल कार्मिक अधिकारी
कृते वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी
द.पू.म.रेलवे, रायपुर

क्र.: ई/ पी.बी./ आर/ भर्ती/ एक्ट अप्रेंटिस/ 2017

दिनांक: 27.11.2017

प्रतिलिपि –

1. समस्त जिला रोजगार अधिकारी/ रायपुर मंडल, से अनुरोध है कि योग्य उम्मीदवारों से आग्रह करें कि उम्मीदवार इस कार्यालय की वेब पोर्टल www.secr.indianrailways.gov.i के माध्यम से आवेदन करें।
2. प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी/ द.पू.म.रेलवे को सूचनार्थ।
3. समस्त शाखा अधिकारी, रायपुर मंडल
4. मंडल समंवयक/ द.पू.म.रे.म.काँग्रेस/ रायपुर
5. मंडल सचिव/ अ.भा.अनु.जा.जजा.रे.क.संघ एवं द.पू.म.रे.अ.पि.व.रे.क.संघ/ रायपुर
6. जनसंपर्क अधिकारी/ द.पू.म.रे/ रायपुर
7. समस्त कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक/ रायपुर
8. सूचना पटल

कृते वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी
द.पू.म.रेलवे, रायपुर